राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार

शिक्षा विभाग (स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा)
राजस्थान सरकार

क्रमांक– 124
दिनांक – 21-10-09

परिपत्र

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम

(सत्र 2009–10)

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामावि, रासीमावि एवं आवासीय ब्रिज कोर्स शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्ययनरत राजकीय एवं अनुदानित माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पंचायत राज विभाग एवं शिक्षा विभाग के समन्वित सहयोग एवं प्रयास से वर्ष 2009–10 के अन्तर्गत दिनांक 31-10-09 से जनवरी, 10 तक किया जायेगा। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच एवं सामान्य बीमारी (बुखार, सिरदर्द, खांसी, उल्टी, दस्त, एनीमिया, आयरन/विटामिन की कमी, दंतरोग, दृष्टिदोष आदि) की दवाइयां एवं उनका उपचार स्वास्थ्य परीक्षण के समय उन्हें उपलब्ध कराया जाना सम्मिलित है।

जिन बच्चों में दृष्टि, श्रवण, अस्थि दोष, मानसिक विमंदिता अथवा बहुविकलांगता पाई जाती है, उन्हें मेडिकल बोर्ड से परीक्षण हेतु रैफर किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण विद्यालयवार किया जायेगा। स्वास्थ्य परीक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. विद्यार्थियों में प्रारंभिक अवस्था में होने वाली सामान्य बीमारियों का पता लगाकर उनका उपचार करना।
2. स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत गंभीर रोग से ग्रसित विद्यार्थियों को उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
3. विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना।
4. अच्छे स्वास्थ्य हेतु वातावरण निर्माण करना।
5. विभिन्न दोषयुक्त बच्चों को चिह्नीकरण पश्चात् स्वास्थ्य परीक्षण हेतु रैफर करना।
6. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पाये जाने वाले छात्र/छात्राओं को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध करना।

इस कार्यक्रम की विस्तृत कार्ययोजना/प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

1. विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल एवं विद्यालय) पर कोर टीम का गठन।

   ➢ **राज्य स्तरीय कोर टीम–**

   - आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर
   - आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
   - निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
   - अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।

- अतिरिक्त निदेशक (ग्रा.स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- उपनिदेशक, औ.शि., राप्राशिप, जयपुर।

➢ **संभाग स्तरीय कोर टीम–**

संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा संबंधित उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) कार्यक्रम के समन्वयन एवं संयुक्त मॉनिटरिंग का दायित्व निर्वहन करेंगे।

➢ **जिला स्तरीय कोर टीम–**

जिला कलेक्टर
सीईओ, जिला परिषद्
सीएमएचओ
डीईओ (प्रा.शि.)/डीपीसी
डी.पी.एम.(एन.आर.एच.एम)
डिप्टी सीएमएचओ मुख्यालय/आर.सीं.एच.ओ.
एडीपीसी, सर्व शिक्षा अभियान
एपीसी, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान

➢ **ब्लॉक स्तरीय कोर टीम–**

बीडीओ
बीईईओ
ब्लाक सी.एम.ओ. एवं ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर (बी.पी.एम.)
बीआरसीएफ
एबीईईओ,(वरिष्ठ) प्रभारी अधिकारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

➢ **संकुल स्तरीय कोर टीम**

पीएचसी इन्चार्ज
सीआरसीएफ
प्रगति/पंचायत प्रसार अधिकारी
नोडल हैडमास्टर, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

➢ **विद्यालय स्तरीय कोर टीम–**

चिकित्सा अधिकारी
संस्थाप्रधान/अध्यक्ष विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति
अभिभावक प्रतिनिधि, एसडीएमसी
एएनएम
ग्राम सेवक
मनोनीत अध्यापक, प्रभारी विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम

2. कार्यक्रम क्रियान्वयन की संयुक्त जिम्मेदारी कोर टीम की होगी। विभिन्न विभागों की संयुक्त बैठक बुलाने का **दायित्व शिक्षा विभागीय अधिकारियों का होगा।**
3. बच्चों में व्याप्त बीमारियों की जांच किये जाने से उपचार/निदान तक मॉनिटरिंग का संयुक्त दायित्व उक्त टीम का होगा।
4. विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले कार्य/दायित्व निम्नानुसार होंगे–

(A) <u>विद्यालय स्तरीय कार्य</u>

- विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण यथा–ऊंचाई मापन, वजन मापन एवं सीना मापन प्रभारी शिक्षक/शिक्षिका द्वारा किया जाना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम/एल.एच.वी./अन्य) द्वारा सभी विद्यार्थियों का मेडिकल चैकअप करना एवं स्वास्थ्य पंजिका/ स्वास्थ्य कार्ड भरना।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य कार्यकर्ता(ए.एन.एम/एल.एच.वी./अन्य) द्वारा स्कीन किये गये विद्यार्थियों में पायी जाने वाली सामान्य बीमारियों का प्राथमिक उपचार वितरण हेतु उपलब्ध निःशुल्क दवाइयां देकर किया जाना। गंभीर बीमारियों के लिए रैफर कार्ड भरना तथा आवश्यकता पडने पर प्रकरण रैफर करना।
- चिकित्सा अधिकारी द्वारा विद्यालय को उपलब्ध करायी गई चैक लिस्ट के आधार पर चिह्नित विभिन्न दोषयुक्त बच्चों की सूची तैयार करना तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण पश्चात् इन्हें मेडिकल बोर्ड के लिए रैफर करना।
- रैफरल कार्ड को संस्थाप्रधान एवं चिकित्सा अधिकारी दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पताल को भिजवाया जाना।
- विद्यालयों में प्रभारी अध्यापक द्वारा स्वास्थ्य जांच पंजिका संधारण किया जाना। जॉच पंजिका/स्वास्थ्य पजिका भरवाये जाने में सहयोग का दायित्व संस्थाप्रधान का होगा।
- स्वास्थ्य जांच पश्चात् विवरण पीएचसी, बीआरसीएफ एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना।

<u>व्यवस्था/प्रबंध (संस्था प्रभारी द्वारा)</u>

- स्वास्थ्य परीक्षण तिथि का पूर्व से प्रचार–प्रसार करना यथा– रैली/ प्रभातफेरी का आयोजन।
- विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवस का संदेश भिजवाना तथा उनसे उपस्थिति की अपील करना।
- तीन दिन पूर्व विद्यालय स्टाफ की बैठक कर व्यवस्था (पेयजल, स्थान, टेबल–कुर्सी, दरी, बच्चों को लाने की व्यवस्था, कार्ड व रजिस्टर संधारण, मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था, चिकित्सालय से समन्वयन आदि) के पृथक–पृथक दायित्व आवंटित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण दिवस पर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालय के बड़े कक्ष में स्वास्थ्य जांच की उचित व्यवस्था करना तथा स्वास्थ्य जांच हेतु आवश्यक उपकरण (भार मापक, ऊंचाई मापक, सीना मापक) आदि की व्यवस्था करना।
- संबंधित कक्षा अध्यापक द्वारा बच्चों को पंक्तिबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष में भिजवाना।
- स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष में जल व्यवस्था उपलब्ध कराना।

- मेडिकल स्टाफ एवं विद्यालय स्टाफ के जल–पान (चाय–नाश्ता) की व्यवस्था करना।

(B) <u>पीएचसी/सीएचसी स्तरीय कार्य</u>

- चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैफर प्रकरणों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रकरणों को पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पताल भिजवाना।
- ***पीएचसी इन्चार्ज द्वारा क्षेत्र की कार्यरत एएनएम, एलएचवी, एमपीडब्ल्यू एवं संविदा पर ली जाने वाली सेवानिवृत्त एएनएम/एलएचवी एवं दो विद्यालयी अध्यापकों के प्रशिक्षण की समयपूर्व व्यवस्था करना।***
- ***समयबद्ध स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम की सूचना पीएचसी इन्चार्ज से प्राप्त कर सीआरसीएफ द्वारा स्कूल/ब्लॉक/जिला स्तर तक पहुंचाना।***
- चिकित्सा अधिकारी एवं संस्थाप्रधान द्वारा रैफर प्रकरणों का पीएचसी पर अलग से रजिस्टर संधारित करवाना। रैफरल कार्ड का फीड बैक पीएचसी चिकित्सक द्वारा फोलोअप किया जाना।
- पीएचसी पर औषधियों की आवश्यक पहुंच/उपलब्धता चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करना।

<u>व्यवस्था/प्रबंध</u>

- संबंधित विद्यालयों से परीक्षण तिथि के पूर्व से ही सम्पर्क कर व्यवस्थाओं हेतु समन्वयन करना।
- विद्यालयों को देय समय एवं तिथि पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र पर सामान्य बीमारियों के लिये अनुमोदित सूची के अनुसार दवाइयों की पहुंच सुनिश्चित करना।
- अनुमोदित दवाइयों की सूची संस्थाप्रधान को उपलब्ध कराना।
- जरूरत मंद गरीब बच्चों को राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क चश्मे वितरित करना।
- कार्यरत मेडिकल स्टाफ की कमी/अनुपलब्धता महसूस होने पर संविदा पर सेवानिवृत्त एएनएम, एलएचवी की व्यवस्था करना।

(C) <u>पंचायती राज विभाग के कार्य–</u>

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा सभी विकास अधिकारियों को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं बैठकों में अनिवार्यतः उपस्थिति हेतु पाबंद करना।
- संबंधित विकास अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्मिकों को विद्यालय स्तर तक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों में सहभागिता हेतु आदेशित करना।
- जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देना।

- विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम दिवसों पर मॉनिटरिंग के लिये कार्यक्रम तय करना।
- अन्य आंवटित व अपेक्षित सहयोग।

(D) <u>राज्य स्तरीय कार्य–</u>

1. राज्य स्तर से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन एवं कार्ड प्रिटिंग/स्वास्थ्य पजिक़ा का दायित्व आयुक्त, **राप्राशिप**, जयपुर का होगा। इसका व्यय एसएसए (परियोजना) द्वारा वहन किया जायेगा।
2. संबंधित विभागों द्वारा कार्यक्रम की मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जाना।
3. विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कार्मिकों की सामुहिक बैठक बुलाये जाने का दायित्व राप्राशिप का होगा।

(E) <u>अन्य दायित्व</u>

1. जिला स्तर से सीएचसी/पीएचसी/एएनएम/पैरामेडीकल स्टॉफ की स्वास्थ्य परीक्षण हेतु ड्यूटी लगाने का दायित्व संबंधित जिले के सीएमएचओ का होगा।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)/जिला परियोजना समन्वयक अपने जिले के बीईईओ/बीआरसीएफ को कार्यक्रम की मॉनिटरिंग तथा संस्था प्रधानों को स्वास्थ्य परीक्षण तिथि से पूर्व की व्यवस्थाओं हेतु पाबन्द करेंगे।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अपने जिले के समस्त पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिको को स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में सहयोग हेतु विशेष दिशानिर्देश जारी करेंगे।
4. पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके स्वयं के विभागों से देय होगा।
5. स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में चिकित्सा विभागीय कार्मिकों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अन्य सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाऐं लिये जाने पर उनका भुगतान मेडिकल विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. संबंधित बीआरसीएफ, जिले के सीएमएचओ को विद्यालयों की सूची देकर उनसे स्वास्थ्य परीक्षण तिथि प्राप्त करेंगे और सूचना स्कूल/ ब्लॉक/जिले को देंगे।
7. समस्त जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न दोष वाले बच्चों के दोष मूल्यांकन हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन कराकर इन बच्चों के दोष का मूल्यांकन कराना। अंग उपकरण की अभिशंषा के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र तैयार कराना।
8. समस्त जिला अस्पताल/सी.एच.सी./पी.एच.सी. को रैफर किये गये विद्यार्थियों का उपचार प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

- **स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में मौके पर संपादित की जाने वाली प्राथमिकताऐं–**
  - संस्थाप्रधान स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विद्यालय में एक कमरा साफ सुथरा उपलब्ध करावेंगे। इस कमरे में मेडिकल स्टॉफ की बैठक व्यवस्था हेतु कुर्सी व मेज, स्वयं के स्टॉफ की बैठक व्यवस्था, भार मापक मशीन, ऊंचाई मापक, सीना मापक आदि उपकरणों के साथ विद्यार्थियों की फर्श पर बैठने की उचित व्यवस्था करायेंगे।
  - द्वितीय कार्ड (रैफरल) चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चे की बीमारी को इंगित करते हुये भरा जावेगा तथा सूचनार्थ अभिभावक को भेजा जायेगा। अभिभावक बच्चे को लेकर पीएचसी/सीएचसी/ जिला अस्पताल में उपस्थित होंगे।
  - विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण का विवरण निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर में संधारित किया जावेगा
  - स्वास्थ्य परीक्षण तिथि को पीएचसी चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों में फील्ड विजिट करेंगे। इस हेतु उन्हें वाहन व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा आरसीएच मद से उपलब्ध करायी जायेगी।
  - ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी/ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर संयुक्त रूप से कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। इस हेतु वाहन व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
  - जिला स्तरीय कोर टीम बिना सूचना के किसी भी ब्लॉक/नगर पालिका/शहर के विद्यालय के स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी तथा कोताही पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंषा कर सकेगी।
  - मेडिकल विभाग स्वीकृत सूची में से दवाइयां/माइक्रोन्यूट्रियन्ट्स/आयरन फोलिक एसिड बच्चों के सामान्य इलाज के लिये उपलब्ध करायेगा।
  - मेडिकल विभाग बीपीएल श्रेणी के गंभीर बीमारियों से ग्रसित विद्यार्थियों के उपचार हेतु निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करायेगा।

F) स्वास्थ्य कार्ड मुद्रण, वितरण एवं रिकॉर्ड संधारण –

- स्वास्थ्य कार्ड मुद्रण रजिस्टर एवं आवश्यक स्टेशनरी उपलब्ध कराने का दायित्व राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा वहन किया जावेगा।
- स्वास्थ्य जांच के पश्चात् स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड, स्वास्थ्य कार्ड/स्वास्थ्य पंजिका में संधारित किया जायेगा।
- रैफरल प्रकरणों को रैफरल कार्ड द्वारा रैफर किया जायेगा। यह कार्ड चिकित्सा अधिकारी एवं संस्थाप्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से विद्यार्थियों को उपचार हेतु जारी किया जावेगा। इस कार्ड में बच्चे की बीमारी को इंगित करते हुये अभिभावक को इलाज हेतु लिखा जायेगा।

विशेष शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम रेफरल कार्ड

फार्म–2

1. विद्यार्थी का नाम .... 2. उम्र ....3. लिंग..........................
4. माता/पिता/अभिभावक का नाम .... 5. कक्षा ....
6. विद्यालय का नाम .... 7. ब्लॉक ....8. जिला ....
9. स्वास्थ्य परीक्षण तिथि .... डाइस कोड ....
10. विद्यालय में मौके पर चिकित्सक द्वारा दिया गया उपचार ....
....

11. रेफर किये गये संस्थान का नाम व पता ....
12. रोग जिसके लिए रेफर किया गया ....

ह. चिकित्सक

रेफर किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वा.के./जिला अस्पताल/उच्चतर चिकित्सा संस्थान के द्वारा की गई जांच/उपचार का विवरण

....
....

ह. चिकित्सा अधिकारी

स्वास्थ्य परीक्षण संबंधी सूचना

ब्लॉक– ब्लॉक कोड– जिला–

प्रपत्र –1

क्र.सं.	संकुल का नाम	विद्यालय का प्रकार (उ.प्रा./ प्रा./सै/ सी.सै. आदि)	विद्यालयों की कुल संख्या	स्वास्थ्य जांच वाले विद्यालयों की संख्या	कुल विद्यार्थी	स्वास्थ्य जांच किये गये विद्यार्थी	अस्वस्थ पाये गये विद्यार्थी	रेफरल प्रकरणों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	9	10

➤ जिला मुख्यालय से निर्धारित प्रारूप में सूचना राज्य स्तर पर भेजी जायेगी–

नोटः– अभियान के दौरान प्रभावी मॉनिटरिंग के लिये प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/सर्व शिक्षा अभियान द्वारा ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा नियमित रूप से सूचना विद्यालय से संकुल, संकुल से ब्लॉक, ब्लॉक से जिला, जिले से राज्य स्तरीय मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

इसी प्रकार विद्यालयों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा सूचना एकत्र कर, उचित माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिले को प्रेषित की जायेगी एवं जिले द्वारा उचित माध्यम से राज्य स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सूचना संकलित की जायेगी।

शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के महत्व को देखते हुये समस्त संबंधित अधिकारियों/शिक्षकों/कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण रूप से सामंजस्य रखते हुये तत्परता से कार्य कर, शतप्रतिशत विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये, समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित कर, कार्यक्रम को सफल बनायें।

15.10.09

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार , जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव,
स्कूल एंव संस्कृत शिक्षा
राजस्थान सरकार, जयपुर।

क्रमांक 126 दिनांक 21-10-09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, प0क0 एवं एम.डी. एन.आर.एच.एम. विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर।
7. आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर, राजस्थान।
8. निदेशक(जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
9. निदेशक (प0क0/एडस) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
10. अति0 निदेशक (ग्रा0स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशालय जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
12. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, समस्त संभाग राज0।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त जिले।
14. उपनिदेशक, प्रारंभिक शिक्षा समस्त संभाग।
15. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
    (अधीनस्थ चिकित्सालयों को सूचित करने के संदर्भ में)
16. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले।
17. जिला प्रोग्राम मैनेजर (एन.आर.एच.एम), समस्त जिले।
18. जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि., समस्त जिले।
19. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, समस्त जिले।
20. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी, समस्त ब्लॉक।
21. विकास अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
22. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
23. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, एसएसए, समस्त ब्लॉक।
24. ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, समस्त ब्लॉक।
25. समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारी।
26. समस्त संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी, एसएसए, विद्यालयों को सूचित करने के क्रम में।
27. कार्यालय प्रति।

21/10/09

~~उपशासन सचिव~~
प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना)
राजस्थान सरकार